दिनांक: 22-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन,सहारनपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधि0 के 72 माल मुकद्दमाती (करीब (1000 ली0 शराब) व गौवध अधि0 मे 44 गौवशीय खालो को थाना प्रागण मे खडडा खुदवाकर नष्ट कराया गया।

अनगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में माल मुकद्दमाती अभियान माल निस्तारण अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नकुड़ सहारनपुर के निकट प्रयवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा जिसमें वरि0उप0निरी0 कपिल देव व हैड मोहर्रिर कालूराम द्वारा मा0 न्यायालय जे0एम0 प्रथम सहारनपुर से अनुमति प्राप्त कर 72 माल मुक्दमती आबकारी अधि0 व 2 माल मुकदमाती गौवध अधि0 वर्ष 2004 के मुकद्दमो मे रखी 44 गौवशीय खालो को खडडा खुदवाकर आज दिनांक 22.5.23 को क्षेत्राधिकारी नकुड, नायब तहसीलदार रामपुर मनिहारन, माल अभियोजन अधिकारी सहारनपुर व आबकारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन,की देख रेख मे नष्ट किया गया।

दिनांक: 22-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनडीब्लू वारंटी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियो व लम्बित एनबीडब्लू वारन्टियो/वान्छितो के विरूद्ध चलाये जे रहे अभियान के अन्तर्गत थाना प्रभारी कुतबुशेर के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22.05.2023 को 01 NBW वारंटी **दिवांश उर्फ देवांश पुत्र प्रवीन खेडा निवासी मकान नं0 46/6 लेवर कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर हाल पता मकान नं0 एस61 हकीकतनगर पानी की टंकी के पास सामूदायिक केन्द्र वाली गली अरुण बतरा का मकान थाना सदर बाजार सहारनपुर** सम्बन्धित दाण्डिक अपील संख्या 180/2023 उ0प्र0 राज्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद को गिरफ्तार किया गया। वारंटी दिवांश उर्फ देवांश उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

दिवांश उर्फ देवांश पुत्र प्रवीन खेडा निवासी मकान नं0 46/6 लेवर कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर हाल पता मकान नं0 एस61 हकीकतनगर पानी की टंकी के पास सामूदायिक केन्द्र वाली गली अरुण बतरा का मकान थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 मौ0 जहाँगीर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 753 अमरपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांकः 22-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडखानी की घटना में वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे वान्छित वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.05.23 को थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/23 धारा 354क/323 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में त्वरित कार्यवाही करते हुये नामित अभियुक्त **तोफिक पुत्र दिलशाद निवासी चकआदमपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मुखबिर खास की निशा देही पर हौजखेडी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त तोफिक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 20.05.23 को सुबह के समय करीब 8 बजे के आसपास मै अम्बाला रोड पर बडी नहर के पास अपनी मोटर साइकिल से जा रहा था। तो मुझे वहा हमारे गाव की लडकी खडी हुई दिखी। मैने अपनी मोटर साइकिल रोककर उससे बात करनी चाही तथा उसका हाथ पकड लिया तथा छेडछाड शुरु कर दी। उसके पिताजी ने मुझे रोका तो मुझे गुस्सा आ गया तथा गुस्से में मैने उसके पिता के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद उस लडकी के पिताजी ने थाना पर मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। आज मै हौजखेडी चौराहा पर कही जाने के लिये खडा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तोफिक पुत्र दिलशाद निवासी चकआदमपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का 478 0युसुफ अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।